

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)  
 प्रधान कार्यालय : सिड्हाही टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

**30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के वित्तीय परिणाम**

विवरण	समाप्त तिमाही				31.03.2022 (को समाप्त वर्ष से)
	30.09.2022 (तेजापुरीतिर)	30.06.2022 सालीन	30.09.2021 (तेजापुरीतिर)	30.09.2021 (तेजापुरीतिर)	
1. अधिकतम धारण (क)+(ख)+(ग)+(घ)	4,114	3,045	1,994	7,159	4,169
(क) अतिरिक्त/निर्वाह पर धारण/कटौत	3,187	2,488	1,687	5,675	3,524
(ख) निधिगत पर धारण	273	166	123	439	238
(ग) प्रा.रि.बैंक में अतिरिक्त धारियाँ और अन्य अंतर-बैंक निधियाँ पर धारण	654	391	184	1,045	461
(घ) अन्य	-	-	-	-	-
2. अन्य धारण	108	68	76	176	131
3. कुल धारण (1+2)	4,222	3,113	2,070	7,335	4,300
4. धारण धारण	2,816	1,911	1,336	4,727	2,844
5. परिचालन व्यय (1)+(11)	159	170	137	329	250
(i) ऋणदात्री लागत	100	114	85	214	173
(ii) अन्य परिचालन व्यय	59	56	52	115	77
6. प्राधान्यों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	2,975	2,081	1,473	5,056	3,094
7. प्राधान्यों और आकस्मिक व्यय को पूर्व परिचालन लागत (3-4) से घटाकर	1,247	1,032	597	2,279	1,208
8. प्राधान्यों को के अंतर्गत और आकस्मिक व्यय प्राधान्यों पर धारण प्रदान किया	337	(4)	97	(97)	75
9. अतिरिक्त धारण	-	-	-	-	352
10. समाप्त तिमाहीनिर्वाह से धारण पूर्व धारण (+) / धारण (-) (7-8+9)	910	1,036	403	1,946	1,034
11. कर संशोधन व्यय प्राथमिक/द्वितीय समाधान पर धारण निर्वाह	221	260	(52)	481	89
12. समाप्त तिमाहीनिर्वाह से कर पर धारण निर्वाह लागण (+) / धारण (-) (10-11)	689	776	455	1,465	945
13. असाधारण मूल्य (कर व्यय घटकर)	-	-	-	-	-
14. अवधि का निवृत्त लागण (+) / धारण (-) (12-13)	689	776	455	1,465	945
15. कुलना इतिहास और मूल्य (अधिकतम मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	569	569	532	569	532
16. आरक्षितियाँ पुनर्स्थापन आरक्षितियों को छोड़कर	25,181	24,492	21,407	25,181	21,407
17. निवेशयोग्यकर अनुपात					
(i) धारण सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	20.85%	20.85%	15.40%	20.85%	15.40%
(ii) सूची पर्यवेक्षण अनुपात (संदर्भ 1 के तहत)	20.59%	21.53%	30.94%	20.59%	30.94%
(iii) प्रति शेयर आभार (मूल और अवधिगत) (धारण)#	12.12	13.64	8.56	25.76	17.77
(iv) निवेशगत आरिक्त अनुपात					
क) निवेशगत आरिक्त की संख्या प्रति	210	220	281	210	281
ख) निवेशगत आरिक्त की संख्या प्रति	125	129	193	125	193
ग) संख्या निवेशगत आरिक्त का %	0.07	0.11	0.20	0.07	0.20
घ) निवल निवेशगत आरिक्त का %	0.04	0.06	0.13	0.04	0.13
(v) आरिक्तियों पर प्रतिशत (कर पर धारण) (वारिष्किकीकरण)	1.02%	1.20%	1.07%	1.02%	1.07%
(vi) निवल मालियत	24,366	24,150	21,695	24,366	21,695
(vii) ऋणदात्री वित्तीय अधिमान संख्या	-	-	-	-	-
(viii) पूर्वी मोचन आरक्षितियाँ	-	-	-	-	-
(ix) इतिहास मोचन आरक्षितियाँ	-	-	-	-	-
(x) परिचालन सीमा	29.53%	33.15%	28.83%	31.07%	28.04%
(xi) निवल लागण सीमा	16.32%	24.91%	21.99%	19.97%	21.99%
(xii) ऋण इतिहास अनुपात	7.08	4.72	1.39	7.08	1.39
(xiii) कुल आरिक्तियों की कुलना में कुल ऋण (%) *	48.96	39.10	30.61	48.96	17.66

\* ऋण (अर्थात को छोड़कर) कुल धारण को दर्शाता है

टिप्पणियाँ:

- 1) सभी महत्वपूर्ण घट्टुओं में, बैंक द्वारा वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उसी महत्वपूर्ण लेखा गतिवियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयार करने के लिए किया गया था।
- 2) उद्युक्त परिणाम, निदेशक मंडल द्वारा 29 अक्टूबर, 2022 को अनुमोदित अपनी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।
- 3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दूसरी तिमाही के अंतर्ले, छमाही के अंत के संख्या में लेखापरीक्षण करण और संशोधित वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक प्रकाशित सभीकाकुल आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़ हैं।
- 4) 30 सितंबर, 2022 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम संशोधित विवरण बैंक से जारी रिजर्व्स/मानदंडों के आधार पर निवेशगत आरिक्तियों, मानक आरिक्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्राधान्य करने के बाद निकाले गए हैं। अतःकर, आस्थापित कर तथा अर्धवार्षिक लागण वित्तीय अन्य सामान्य व आवश्यक प्राधान्य, वहाँ भी उल्लिखित हैं, अनुमोदित/समाप्तगतिक आधार पर किए गए हैं और वर्तमान में समाधान के अधीन हैं।
- 5) कोविड-19 महामारी, बैंक के संतुलन और वसिंधति की गुणवत्ता को विसर हर एक प्रभावित करी, यह संश्लेष के परन्तानाम पर निरंतर कर्ण।
- 6) कोविड-19 के समाप्तित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एक विकल्पित उपाय के रूप में यथा 30 सितंबर 2022 को संश्लेष के कुछ खंडों पर, जिन्हें बैंक के अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर दयावत्ता माना गया था, ₹.14.5 करोड़ के अतिरिक्त मानक अतिरिक्त प्राधान्य किए हैं।
- 7) कोविड-19 संबंधी तनाव हेतु समाधान केवक के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अगस्त 2020 के परिषद (समाधान केवक 1.0) और दिनांक 05 मई, 2021 के परिषद (समाधान केवक 2.0) के अनुसार, समाधान केवक निम्नानुसार कायित्व की गई है:
  - 1) बैंक ने समुद्रजन के माध्यम से वृद्ध किए बिना भी ऋण का अधिमान नहीं किया है।
  - 2) बैंक ने वित्तीय ग्री आरिक्तियों प्रतिक्रिया (प्रकार) को / अन्य अतिरिक्तियों को अंतर्गत आरिक्तियों (परिधि) इत्यादि नहीं की है।
  - 3) बैंक ने न तो कोई दयावत्ता करण अधिमान किया है और न ही वित्तीय कुलवित्त करण / निवेश वित्तवित्त करण (प्रकार) को अतिरिक्त किया है।
  - 4) बैंक ने प्रारंभिक को इत्यादि दयावत्ता करण के संख्या में आरिक्त प्रतिक्रिया करणियों (प्रकार) द्वारा जारी धारित गतिवियों (प्रकार) में निवेश नहीं किया है।
  - 5) निवेश अनुबंध आरिक्तियों के परिकल्पन के लिए दयावत्ता करण को विसर में नहीं किया गया है।
  - 6) रिजर्व्स अतिरिक्त बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पर के अनुसार, अंती मूल्यांकन तक एआरआरआर के लिए आरिक्तियों-एएए का कार्यान्वयन आस्थापित कर दिया गया है।
  - 7) सांश्लेष केवकवर्णन द्वारा उद्युक्त परिणामों की तैयार-तैयार की गई है।

उत्तरकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के विधान्यन स्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत धारणों की एएसओजर धारण - फिबल 31 मार्च 2022 के अंत तक की स्थिति (₹)	धारण (₹) में से, अर्ध-वर्ष के दौरान एएसओजर धारणों में जमा वाले ऋण की संख्या धारण	धारण (₹) में से, अर्ध-वर्ष के दौरान धारण धारणों में जमा नहीं धारण	धारण (₹) में से, अर्ध-वर्ष के दौरान उत्तरकर्ताओं द्वारा धारण की गई धारण \$	समाधान योजना के विधान्यन स्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत धारणों की एएसओजर धारण 30 सितंबर 2022 के अंत तक की स्थिति
वैश्लेषिक ऋण	-	-	-	-	-
दीर्घ धारण	32.99	0.00	0.00	1.90	31.09
इसमें से एएसओजर	32.99	0.00	0.00	1.90	31.09
अन्य	-	-	-	-	-
कुल	32.99	0.00	0.00	1.90	31.09

8) 24 सितंबर, 2021 को ऋण एएसओजर के इत्यादि पर आरिक्तियाँ मानदंड निर्देश के तहत 30 सितंबर, 2022 को समाप्त छमाही के दौरान इत्यादि/अधिमान करणों का विसरणी नहीं किया गया है:
 

- 1) बैंक ने समुद्रजन के माध्यम से वृद्ध किए बिना भी ऋण का अधिमान नहीं किया है।
- 2) बैंक ने वित्तीय ग्री आरिक्तियों प्रतिक्रिया (प्रकार) को / अन्य अतिरिक्तियों को अंतर्गत आरिक्तियों (परिधि) इत्यादि नहीं की है।
- 3) बैंक ने न तो कोई दयावत्ता करण अधिमान किया है और न ही वित्तीय कुलवित्त करण / निवेश वित्तवित्त करण (प्रकार) को अतिरिक्त किया है।
- 4) बैंक ने प्रारंभिक को इत्यादि दयावत्ता करण के संख्या में आरिक्त प्रतिक्रिया करणियों (प्रकार) द्वारा जारी धारित गतिवियों (प्रकार) में निवेश नहीं किया है।
- 5) निवेश अनुबंध आरिक्तियों के परिकल्पन के लिए दयावत्ता करण को विसर में नहीं किया गया है।
- 6) रिजर्व्स अतिरिक्त बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पर के अनुसार, अंती मूल्यांकन तक एआरआरआर के लिए आरिक्तियों-एएए का कार्यान्वयन आस्थापित कर दिया गया है।
- 7) सांश्लेष केवकवर्णन द्वारा उद्युक्त परिणामों की तैयार-तैयार की गई है।

दिनांक : 29 अक्टूबर, 2022  
 स्थान : भारत (पुणे)